Shortage of young officers in the Army

2371. SHRI O. P. KOHLI: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the newsitem which appeared in the 'Times of India' dated the 1st July, 1997 under the caption "Army's plight where have all the captains gone?";

(b) if so the reasons for the shortage of young officers in the Army; and

(c) the steps taken to remedy the situation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI N. V. N. SOMU): (a) to (c) Judging from the number of applicants for officers vacancies at the induction level, it can not be said that the career in armed forces has become less attractive resulting into shortage of officers at the junior level.

With a view to attracting eligible qualified youth in large number for taking up Army Service as a career, the Government have decided to launch a comprehensive Image Projection Campaign with the help of professional media agency.

Various measures have been initiated to make up the shortage in the officer cadre such as, University Entry Scheme, exemption from apprearing in Combined Defece Services Examination for NCC 'C' Certificate holders and Short Service Commission Officer (SSCO), induction of women as officer, promotion of serving JCO/ORs into the newly created Special Commissioned Officer (SCOs) Cadre for JCOs/ORs.

The Fifth Central Pay Commission has recommended improved pay scales, allowances and concessions to the Armed Forces Personnnel in their report submitted to the Government. The Government after due consideration of the Grievances of the Armed Forces personnel have decided to improve upon some of the Pay Commission recommendations.

It is expected that the above steps will improve the situation to a great extent.

कच्छ में सशस्त्र बल प्रशिक्षण केन्द्र

2372. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कच्छ में थल सेना, नौसेना और वायु सेना प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति क्या है;

(ग) क्या वायु सेना प्रशिक्षण के संबंध में भुज विमान पत्तन सर्वाधिक उपयुक्त है और इस प्रयोजन हेतु इसका विस्तार करना जरूरी है;

(घ) क्या सरकार प्रशिक्षण केन्द्र को सुचारू ढंग से चलाने के लिए कच्छ में एक सैनिक अस्पताल की स्थापना करने का भी विचार रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० वी० एन० सोमू) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) भुज एयरपोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट स्थित होने के कारण इसे वायुसेना के प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं समझा गया है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता । भुज में एक सैन्य अस्पताल पहले ही विद्यमान है ।

सैन्य इंजीनियरी सेवा में सिविल लोग

2373. **श्री चुन्नीलाल चौधरी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैन्य इंजीनियरी सेवा में सिविलियन भी आते हैं;

(ख) यदि हां, तो सैन्य इंजीनियरी सेवा में कार्यरत सिविलियन अधिकारियों को सैनिक अस्पताल की सुविधा न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सैन्य इंजीनियरी सेवा में कार्यरत सिविलियन अधिकारियों को सैन्य क्षेत्र से आने वाले अपने अन्य सहयोगियों की तरह आवास सुविधा प्रदान न किए जाने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० वी० एन० सोमू) : (क) जी, हां ।

(ख) सैन्य अस्पताल सेवा विशेष रूप से सैन्य कार्मिकों के लिए उनकी सेवा संबंधी आवश्यकता के अनुसार बनाई गई है । सैन्य इंजीनियरी सेवा के सिविलियन कार्मिकों के लिए चिकित्सा सुविधा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा अथवा जहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना नहीं है वहां पर प्राधिकृत मेडिकल अटेंडेन्ट्स द्वारा उपलब्ध कराई जाती है । तथापि, कुछ आपातकालिक मामलों में सिविलियनों को भी मिलिट्री अस्पताल में गैर-हकदार व्यक्तियों के रूप में भरती किया जाता है जिसके लिए उन्हें भुगतान करना होता है ।

(ग) सैन्य आवश्यकता/परिस्थितियों की वजह से मिलिट्री स्टेशनों पर सैन्य कार्मिकों के वास्ते परिवार आवास/एकल आवास उपलब्ध कराए जाते हैं । सैन्य इंजीनियरी सेवा के सिविलियन जो कि महत्वपूर्ण कार्मिक होते हैं उनके लिए भी सभी स्टेशनों पर शत-प्रतिशत परिवार आवास उपलब्ध कराए जाते हैं । सैन्य इंजीनियरी सेवा के अन्य सिविलियनों के वास्ते आवास की व्यवस्था रक्षा सेवाओं में सिविलियन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से बनाए गए आवासों के पूल में से की जाती है । इसके अतिरिक्त परिवार आवास के उपलब्ध न होने की स्थिति में, सरकारी आदेशों के अनुसार, सिविलियन कार्मिक मकान किराया भत्ता लेने के भी हकदार होते हैं ।

भारतीय इंजीनियरी सेवाओं में पदोन्नति संबंधी मानदण्ड

2374. **श्री चुन्नीलाल चौधरी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय इंजीनियरी सेवा में आने वाले व्यक्तियों का चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है और उन्हें विभागों का आवंटन उनके योग्यता-क्रम (मैरिट) के अनुसार किया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सैन्य इंजीनियरी सेवा में पदोन्नति की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है जबकि रेल, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा डाक एवं तार विभाग जैसे विभागों में पहली पदोन्नति 8–9 वर्षों में और दूसरी पदोन्नति 13–14 वर्षों की सेवा पूरी करने के बाद दी जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो इन सेवाओं में भेदभाव बरते जाने के क्या कारण हैं और उसके क्या आधार हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० वी०एन० सोमू) : (क) संयुक्त इंजीनियरी सेवा परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को उनके योग्यताक्रम, उनकी प्राथमिकताओं उनकी श्रेणी और उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयुक्त